न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः अपील/12/2018 दायर दिनांकः 09.02.2018

1. कौशल्या देवी पत्नी राकेश कुमार जाति जाट निवासी 6 जैड डब्ल्यू एम तहसील घडसाना हाल चक 2 के एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(अपीलांटस)

बनाम

1. राकेश कुमार पुत्र बलराम जाति जाट निवासी 6 जै डब्ल्यू एम तहसील घडसाना
2. शिशपाल पुत्र बलराम जाति जाट निवासी 6 जै डब्ल्यू एम तहसील घडसाना
3. ओम प्रकाश पुत्र बलराम जाति जाट निवासी 6 जै डब्ल्यू एम तहसील घडसाना
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (भू.अ.), घडसाना

(रेस्पोडेंटस)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री तिलक राज चुघ, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र सिंह, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 01
3. श्री सुनील गोदारा ,अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3
4. पैरोकार राज

:: निर्णय :: दिनांकः– 29.7.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस के सुसुर बलराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी डुंगरसिंह पुरा के नाम से वाके चक 8 जैड डब्ल्यू एम तहसील घडसाना का मुरब्बा न. 40 पत्थर न. 190/30 के 4.959 है0 कमाण्ड खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। अपीलांट के ससुर बलराम का देहान्त हो चुका है। अपीलांट के ससुर बलराम द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी उक्त स्वयंअर्जित खातेदारी कृषि भूमि में से किला न. 1 ता 4 प्रत्यके का 0.253 है0, 5 का 0.227, 6 का 0.082, 7 का 0.083, 8 का 0.083, 9 का 0.083, 10 का 0.083 है0 इस प्रकार कुल 1.653 है0 रकबा अपने हकीकी पुत्र राकेश कुमार यानि रेस्पोडेंट संख्या 1 व अपनी पुत्रवधु कौशल्या यानि अपीलांट को जरिये पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 22.05.2013 को उपहार कर दी। उक्त उपहार पत्र का रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 को भी भलीभांति ज्ञान होने के बावजूद भी रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 ने मिलीभक्त से समस्त कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 व स्वर्गीय बलराम के अन्य वारिसान कमलादेवी पत्नी बलराम, रोशनीदेवी, गुलाबदेवी, बिरमादेवी पिसरान बलराम के नाम इंतकाल संख्या 250 दिनांक 26.05.2016 दर्ज करवा लिया। तत्पश्चात रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 द्वारा अपीलांट को उक्त अपीलाधीन भूमि में उसे उपहार स्वरूप प्राप्त उसके हिस्सा की कृषि भूमि से वंचित करने के उदेश्य से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 द्वारा दस्तावेज दस्तबरदारी के आधार पर दिनांक 12.6.2017 को इंतकाल संख्या 286 अपने नाम से स्वीकृत करवाकर दर्ज करवा लिया। उक्त दोनो आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को ना तो नोटिस दिया गया तथा ना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का इंतकाल संख्या 250 दिनांक 26.05.2016 व इंतकाल संख्या 286 दिनांक 12.6.2017 निरस्त किया जाकर स्व0 बलराम द्वारा निष्पादित पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 22.5.2013 के आधार पर अपीलाधीन भूमि का इंतकाल अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 11:58:26 IST
Reason: SelfAttested

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल मिसल किया गया गया। रेस्पोडेंटस को जरिये नोटिस तथा अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री तिलक राज चुघ आये व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र सिंह व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील गोदारा हाजिर आये तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

3. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि आलौच्य इंतकाल दिनांक 26.5.2016 व 12.6.2017 अपीलांट को बिना पूर्व सुनवाई का अवसर दिये एवं नोटिस दिये बिना एक पक्षीय पारित किया है। जिसकी अपीलांट को कतई जानकारी नहीं थी। अपीलांट का अपने मृतक ससुर बलराम द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृतक दस्तावेज उपहार पत्र दिनांक 22..5.2013 के आधार पर समस्त प्रकार के हक व अधिकार निहित है। अपीलांट आलौच्य आदेश से सीधे सीधे व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार है। अपीलांट सदभावित काश्तकार भी है। इसलिए अपील पेश करने की कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करे।

4. वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 2 एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या 3 ने तथा पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का ना तो कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस कोई मौखिक आपत्ति जाहिर की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जिससे अपीलांट अपना पक्ष नहीं रख पाये है। पत्रावली में उपलब्ध उपहार पत्र की फोटो प्रति अनुसार मृतक बलराम द्वारा दिनांक 22.5.2013 को जैर अपील भूमि अपने हकीकी पुत्र राकेश कुमार व पुत्रवधु कौशल्या देवी को जरिये रजिस्टर्ड उपहारनामा द्वारा उपहार की गई थी जिससे जैर प्रकरण भूमि पर अपीलांट के हित निहित है। अपीलांट आलौच्य आदेश से सीधे सीधे व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपील पेश करने की कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करे।

5. धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश अपीलांट को नोटिस दिये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया अपनाये बिना मजमे आम में समस्त तथ्यों की जांच करवाये बिना तथा समस्त वारिसान की जांच करवाये बिना आदेश पारित किया हैं। अपीलांट को पटवारी हल्का के मार्फत उक्त नामांतरण की जानकारी दिनांक 31.01.2018 को हुई। जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझ कर अपील देरी से पेश नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

6. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अधिवक्ता ना तो रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 2 ने तथा ना ही अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 ने एवं ना ही पैरोकार राज ने कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस कोई मौखिक आपत्ति जाहिर की एवं ना ही कोई प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांटस के सुसुर बलराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी डुंगरसिंह पुरा के नाम से वाके चक 8 जैड डब्ल्यू एम तहसील घडसाना का मुरब्बा न. 40 पत्थर न. 190/30 के 4.959 है0 कमाण्ड खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। अपीलांट के ससुर बलराम का देहान्त हो चुका है। अपीलांट के ससुर बलराम द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी उक्त स्वयंअर्जित खातेदारी कृषि भूमि में से किला न. 1 ता 4 प्रत्यके का 0.253 है0, 5 का 0.227, 6 का 0.082, 7 का 0.083, 8 का 0.083, 9 का 0.083, 10 का 0.083 है0 इस प्रकार कुल 1.653 है0 रकबा अपने हकीकी पुत्र राकेश कुमार यानि रेस्पोडेंट संख्या 1 व अपनी पुत्रवधु कौशल्या यानि अपीलांट को जरिये पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 22.05.2013 को उपहार कर दी। उक्त उपहार पत्र का रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 को भी भलीभांति ज्ञान होने के बावजूद भी रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 ने मिलीभक्त से समस्त कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 व स्वर्गीय बलराम के अन्य वारिसान कमलादेवी पत्नी बलराम, रोशनीदेवी, गुलाबदेवी, बिरमादेवी वारिसान बलराम के नाम इंतकाल संख्या 250 दिनांक 26.05.2016 दर्ज करवा लिया। तत्पश्चात रे0 संख्या 1 ता 3 द्वारा अपीलांट को उक्त अपीलाधीन भूमि में उसे उपहार स्वरूप प्राप्त उसके हिस्सा की कृषि भूमि से वंचित करने के उदेश्य से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 द्वारा दस्तावेज दस्तबरदारी के आधार पर दिनांक 12.6.2017 को इंतकाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 10:58:26 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

संख्या 286 अपने नाम से स्वीकृत करवाकर दर्ज करवा लिया। उक्त आदेश बिना विधिक प्रकिया अपनाये पारित किया गया है जिसे निरस्त किया जावे।

8. वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि स्व0 बलराम द्वारा जैर प्रकरण भूमि दिनांक 22.05.2013 को जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र अपीलांट कौशल्या देवी व मुझ रेस्पोडेंट संख्या 1 को उपहार दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय उक्त उपहार पत्र के अनुसार इंतकाल दर्ज करना चाहिए था जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरास्तन इंतकाल दर्ज किया गया है।

9. वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील इंतकाल संख्या 250 दिनांक 26.5.16 विरास्तन व इंतकाल संख्या 268 दिनांक 12.06.2017 उप पंजीयक घडसाना द्वारा पंजीकृत की गई दस्तबरदारी के आधार पर स्वीकृत किये गये है। अपीलांट को उक्त दस्तबरदारी के विरूद्व समक्ष न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था। अपीलांट की यह अपील चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किये गये इंतकाल विधि अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ही पारित किये गये है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

10. पैरोकार राज ने दौराने बहस निवेदन किया कि जैर अपील इंतकाल नियमानुसार व पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाते हुए ही स्वीकृत किये गये है।अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर गहनता से चिंतन मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध उपहार पत्र की प्रति के अवलोकन से पाया कि बलराम पुत्र पतराम द्वारा दिनांक 22.05.2013 को जेर प्रकरण भूमि जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र अपने पुत्र राकेश पुत्र बलराम व अपनी पुत्र वधु कौशल्या पत्नी राकेश कुमार को उपहार कर दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) घडसाना द्वारा इंतकाल संख्या 250 दिनांक 26.5.2016 को रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 व स्वर्गीय बलराम के अन्य वारिसान कमलादेवी पत्नी बलराम, रोशनीदेवी, गुलाबदेवी, बिरमादेवी पिसरान बलराम के नाम से स्वीकृत कर दिया। तत्पश्चात स्व0 बलराम के वारिसान यथा कमला देवी, रोशनी देवी, राजेश कुमार, गुलाब देवी, शिशपाल, ओम प्रकाश, निरमा देवी द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के नाम दिनांक 23.5.2017 को रजिस्टर्ड दस्तबरदारी कर दी। उक्त दस्तबरदारी के आधार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल संख्या 286 दिनांक 12.6.2017 को स्वीकृत कर दिया गया। चूंकि जब बलराम द्वारा दिनांक 22.05.2013 को जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र राकेश पुत्र बलराम व अपनी पुत्र वधु कौशल्या पत्नी राकेश कुमार को उपहार कर दी गई थी तो उक्त उपहार पत्र के आधार पर नामांतरण दर्ज किया जाना चाहिए था जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), घडसाना द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 250 दिनांक 26.5.2016 को व इंतकाल संख्या 286 दिनांक 12.6.2017 को स्वीकृत किया गया है जो विधि विरूद्व स्वीकृत किये गये है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.5.16 व दिनांक 12.6.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) घडसाना का इंतकाल संख्या 250 दिनांक 26.5.2016 व इंतकाल संख्या 286 दिनांक 12.6.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में स्व0 बलराम द्वारा दिनांक 22.5.2013 को निष्पादित किये गये उपहार पत्र का अवलोकन कर स्व0 बलराम के समस्त वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 11:58:26 IST
Reason: SelfAttested